तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
15-11-19	पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थीगण उपस्थित, विपक्षीगण ... सम्मन बादतामिल होकर प्राप्त हुए जिसे शा-प० किये गये। विपक्षीगण को कितनी मर्तबा आवाजे दिलायी जाने उपरान्त भी उपस्थित नहीं। इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश दिया जाता है विवादित आराजियात की मौका रिपोर्ट मंगवाने हेतु तहसीलदार मांडल को लिखा जावे। वास्ते पत्रावली मे देखने मौका रिपोर्ट हेतु नियत दिनांक 28.11.19 को पेश हो।	
28.11.19	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थीगण उपस्थित, वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-A रा० का० अधिनियम के तहत अपनी खातेदारी की आराजी संख्या 8128, 8130, 8131, 8132, 8133, 8141, 8147 कुल किता 07 कुल रकबा 06 बीघा 13 बिस्वा भूमि जो ग्राम मांडल पटवार हल्का मांडल तहसील मांडल मे स्थित उक्त भूमि मे प्रार्थीगण के आने जाने हेतु रास्ता विपक्षी सं: 01 व 2 की आराजी नम्बर 8134 रकबा 01 बीघा 11 बिस्वा के दक्षिणी मेड के खेत के सहारे - सहारे डेढ गट्ठा यानि 12 फीट की चौड़ाई का रास्ता कायम करने की इस्तदुआ की। भू-अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट पेश हुई जिसे शा० प० किया गया, प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज तथा मौका रिपोर्ट का अध्ययन व मनन किया गया, प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-A राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किये जाने योग्य है। अत: : : आदेश : : प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-A रा० का० अधिनियम स्वीकार किया	

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2021.01.22 16:19:03 IST
Reason: SelfAttested

APP-A
crim-1

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

FORM No. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अदालत ______ मुकाम ______

______ बनाम ______

मुकदमा ______ नं.______ सन्______

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पटवार हल्का माण्डल तहसील माण्डल जिला - भीलवाड़ा मे स्थित आराजी सं० 8128, 8130, 8131, 8132, 8133, 8141, 8147 कुल किता 07 कुल रकबा 06 बीघा 13 बिस्वा भूमि पर आने जाने हेतु रास्ता राजस्व रेकार्ड मे दर्ज नही है। एवं मौके पर कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है। उपरोक्त भूमि मे आने -जाने हेतु आराजी सं० 8134 रकबा 01 बीघा 11 बिस्वा भूमि की दक्षिणी मेड़ के सहारे सहारे बनी हुई पक्की पुली के उत्तर दिशा मे यानि विपक्षीगण की आराजियात नं. 8134 रकबा 01 बीघा 11 बिस्वा मे से डेढ़ गट्ठा यानि 12 फीट चौड़ा रास्ता दिया जाने का आदेश दिया जाता है। 12 फीट चौड़ा रास्ता के काम मे आने वाली भूमि का यानि लगभग 02 बिस्वा भूमि की D.L.C. दर से प्रार्थीगण से राशि जरिये D.D. अथवा नकद राशि विपक्षी सं० D3 तहसीलदार माण्डल ... कर विपक्षी सं० 1, 2 को भुगतान ... रास्ते मे आने वाली 02 बिस्वा ... सं० 01 व 2 के राजस्व खाते मे से कम की जाकर भूमि को राजस्व रेकार्ड मे रास्ता दर्ज करते हुए नक्शे मे तरमीम किया जावे। नियमानुसार अपील अवधि के पश्चात तहसीलदार मांडल द्वारा निर्णय की पालना की जावे। पालना हेतु निर्णय की प्रति तहसीलदार माण्डल को भिजवाते हुए लिखा जावे।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2021.01.22 16:19:03 IST
Reason: SelfAttested